05/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप०। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु न्यायालय में आवेदन अग्रसर तथा स्थगन आदेश की अन्तरिम आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर आदेश दिनांक 30/01/23 को पेश हो।

30/01/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनु०। प्रार्थी स्वयं अनु०। चुंकि मूलवाद को खारिज कर दिया गया है। इसलिये इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान सरकार
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

गण	विप्रार्थीगण
1. नारायणराम पुत्र शेराराम 2. अमराराम पुत्र शेराराम 3. मंगलाराम पुत्र शेराराम 4. लाखाराम पुत्र शेराराम 5. पेमीदेवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवासी रामदेरिया पश्चिम तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. चुनाराम गोदपुत्र सोनाराम 2. हुरमी पत्नी सोनाराम 3. राजू पुत्र नवला 4. खींयाराम पुत्र देराजराम जातियान जाट निवासीगण रामदेरिया पश्चिम 5. दुर्गाराम पुत्र देराजराम 6. खेतु पुत्री सगराम 7. देवू पत्नी सगराम 8. देवाराम पुत्र सगराम 9. धीराराम पुत्र देराजराम 10. नेनूदेवी पत्नी देराजराम 11. राधा पुत्र सगराम 12. लक्ष्मी पुत्री सगराम 13. वगताराम पुत्र देराजराम 14. शांति पुत्री सगराम 15. हरीश पुत्र सगराम जातियान जाट निवासीगण भाडा तहसील सेड़वा 16. शाखा प्रबंधक – भारतीय स्टेट बैंक साता। 17. शाखा प्रबंधक – भारतीय स्टेट बैंक सेड़वा। 18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न। 90/2022

6/22

प्रार्थीगण के वकील श्री करनाराम कड़वासरा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील सेड़वा के मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का नवातला बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के खसरा संख्या 328/119 क्षेत्रफल 10.9022 हैक्ट. बीघा किस्म बारानी सोयम वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
सेड़वा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

दिनांक :– 27.06.2022

क्रमांक/2022/870-75

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयक सेड़वा।
2. प्रार्थीगण नारायण पुत्र शेराराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण चुनाराम गोदपुत्र सोनाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर/बीजराड़/चौहटन।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा